सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नियत तिथि/Due date –27.12.2013

TIME BOUND/RTI MATTER

भारत सरकार

खान मंत्रालय

शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री. प्रदीप कुमार पटेल, लखनऊ से प्राप्त आवेदन दिनांक 03.10.2013 एवं पत्र दिनांक 'शून्य' को इस पत्र के साथ उचित कार्यवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुडा/सम्बध्द है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा।

3. आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन को आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल में **प्राप्ति के तीन दिनों में तुरंत प्रविष्ट** करके आवेदक को पावती भेजी जाए एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों का पालन करते हुए उसपर निर्धारित समय में कार्यवाई की जाए ।

4. उपरोक्त आवेदन को ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड से डाऊनलोड करके प्रार्थी को सूचना भेजी जाए एवं प्रतिलिपी इस प्रकोष्ठ को भी सूचनार्थ भेजी जाए ।

(राजेश शाह/Rajesh Shah)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न- FTS 17480, 16906

श्री. अजय कुमार कादियान, अवर सचिव (M-V/M-VI)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. ए.के. मलिक, अवर सचिव (Met.III)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. प्रभात कुमार, अवर सचिव (IF)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. एम.आर. सत्यनारायणन, अनुभाग अधिकारी (M-I)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. रविंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (M-II)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. कुमार अमरेंद्र, अनुभाग अधिकारी (M-III)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

181 2013

पृष्ठ 2.....

श्री. एम.डी. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (Met.I)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी (Met.II)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. संजय सिंह, अनुभाग अधिकारी (Cdn.)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. एम. एस. साजवाण, अनुभाग अधिकारी (Cash)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. विकास राज, अनुभाग अधिकारी(Met.IV)/ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. ई-मिसिल 2/199/2013-पी.आई. दिनांक/Dated 28.11.2013

181

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी/A.C.P.I.O.
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषयः—जनसूचना अधिकार—2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1/50/2013-P.I. दिनांक 19.11.13 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा वांक्षित धनराशि Rs10/- का आई0पी0ओ0 / डी0डी0 संख्या 943978 दिनांक 21.6.13 संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खान मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17480
28 NOV 2013

10/
2948
1986
28/11/13

भवदीय

प्रदीप कुमार पटेल

(प्रदीप कुमार पटेल)

e-file-2/181/2013-PI

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Pay and Accounts Officer
Ministry of Mines को

इस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

कमीशन COMMISSION ~~50 PAISE~~ 1.00

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
Pradeep Kumar Patil
126/17-B B.N. Road
Lalbagh Lucknow

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
New Delhi
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

16F 943978

7

16906
18 NOV 2013

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
खान मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

PI

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत सूचना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(i) खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में चलने वाली विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्न प्रारूप में देने का कष्ट करें।

योजना का नाम	योजना की न्यूनतम अर्हता (जनसंख्या वार)	योजना को लागू करने हेतु कार्यदायी संस्था का नाम एवं पता	वित्तीय वर्ष 2004–05 से लेकर अद्यतन वित्तीय वर्षवार खर्च की जाने वाली योजनावार धनराशि

(ii) उपरोक्त योजनाओं में से कौन सी भारत सरकार द्वारा मात्र एवं कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलकर भी प्रायोजित है? भारत सरकार का योजनावार सहयोग प्रतिशत कितना है?

(iii) उपरोक्त योजनाओं में कितनी योजनाओं को एन0जी0ओ0 के माध्यम से भी लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं एन0जी0ओ0 को अनुमन्य वित्तीय सीमा एवं अर्हता का विवरण योजनावार अलग–अलग देने का कष्ट करें।

(iv) एन0जी0ओ0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2004–05 से अद्यतन वित्तीय वर्षवार एवं योजनावार उत्तर प्रदेश में व्यय धनराशि का विस्तृत विवरण दे।

e-file
01/48/2013-PI

भवदीय

दिनांकः 3/10/13
भारत का नागरिकः– हां
संलग्नकः–पोस्टल आर्डर संख्या रू0–10/मात्र
797123 दिनांक– 23/9/13

Pradeep Ku. Patel
(प्रदीप कुमार पटेल)
126/17–बी.
बी0एन0रोड,
लालबाग,
लखनऊ।

48

स्पीड पोस्ट

क्र.1/50/2013-पी.आई.
भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

दिनांक – 19.11.2013

सेवा में-

श्री. प्रदीप कुमार पटेल,
126/17-बी,
बी.एन. रोड,
लालबाग,
लखनऊ - 226001

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005.

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस मंत्रालय को सूचना प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया हुआ आवेदन दिनांक 03.10.2013 का अवलोकन करें । उक्त आवेदन के साथ संलग्न रूपए 10/- का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक 17एफ 797123 जो "जन सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय, भारत सरकार" के नाम देय है । उक्त भारतीय पोस्टल आर्डर को इस पत्र के साथ वापस किया जा रहा है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार आवेदन फीस <u>केवल</u> रूपये **10.00** स्वीकार्य है। आपसे अनुरोध है कि, आवेदन फीस को डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल आर्डर **(Demand Draft/Bankers Cheque/Indian Postal Order)** जो **'लेखा अधिकारी, खान मंत्रालय'** अथवा **'वेतन एवं लेखा अधिकारी, खान मंत्रालय' (Accounts Officer, Ministry of Mines or Pay and Accounts Officer, Ministry of Mines)** के नाम देय हो या फीस **नकद (Cash)** रूप में भी 'सूचना पटल, खान मंत्रालय, भूतल, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 पर, जमा की जा सकती है।

3. सूचना प्रदान करने की अवधि इस मंत्रालय में आवेदन फीस जमा करने की तिथी से मानी जाएगी।

भवदीय

(राजेश शाह/Rajesh Shah)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न: यथोपरि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO जन सूचना अधिकारी
खान मंत्रालय, भारत सरकार को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

AT THE POST OFFICE AT
नई दिल्ली
के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

प्रदीप कुमार पटेल
126/17-B बी०एन० रोड
लालबाग लखनऊ

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

17F 797123

Immediate
RTI Matter

Government of India
Ministry of Mines
(Metal-IV Section)

*****

No. 16/1/2010-Met.IV New Delhi, the 6th December. 2013

To

Shri Pradeep Kumar Patel,
126/17-B,
B.N Road,
Lal Bagh,Lucknow.
U.P. Pin. 226001.

Subject:- Information sought under RTI Act 2005-application received from Shri Pradeep Kumar Patel dt. 3.10.2013.

******

Sir,

Reference your letter dated 3.10.2013 on the above cited subject, received in this office on 6.12.2013.

2. In so far as the Met.IV Section is concerned, the information may be treated as 'NIL.

3. If you are not satisfied with the above information you may appeal to Shri Bijender Singh, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Room No. 314-D, Shastri Bhawan, New Delhi within 30 days..

Yours faithfully,

(Vikas Raj)
Section Officer/CPIO

To

S.O. PI -Cell w.r.t. U.O.No. efile 2/199/2013-PI dated 28.11.2013.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 40(63)/2013-M.I

New Delhi, the 2nd December,2013

To

Shri Pradeep Kumar Patel
126/17-B, B.N. Road,
Lalbagh,,
Lucknow-

Subject: RTI Application dated 03.10.2013 under Right to Information Act, 2005

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 03.10.2013 and to say that in so far Mines-I Section of Ministry of Mines is concerned, the information may be treated as 'NIL'.

If you are not satisfied with this reply you may file an appeal before the Appellate Authority (Shri S.B. Doval, Dy. Secretary, Ministry of Mines, Room No. 315, D-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi) within a period of 30 days from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(M.R. Sathayanarayana)
CPIO Mines-I
Ministry of Mines

Copy to:

1. Shri Rajesh Shah ACPIO, PI Cell Ministry of Mines w.r.t. UO No. 2/199/2013 dated 28.11.2013

(M.R. Sathyanarayana)
Section Officer

भारत सरकार
खान मंत्रालय

पत्र सं. 5/36/2013-धातु-III नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 2013

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार पटेल
126/17'बी,
बी.एन. रोड
लाल बाग,
लखनऊ (उ.प्र.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 23.9.2013 से संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय के अनुभाग धातु-III के संबंध में सूचना शून्य मानी जाए ।

इसके अतिरिक्त यदि आप उपरोक्त उत्तर के संतुष्ट नहीं है तो अपील प्राधिकारी (श्री एस. के. मिश्रा उप सचिव, खान मंत्रालय, कमरा सं. 311, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली) के समक्ष पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं ।

भवदीय

(एए. के. मल्लिक)
अवर सचिव, सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि प्रेषित :- पी. आई. सैल उनके ई. मिसिल 2/199/2013-पी. आई. दिनांक 28.11.2013 के संदर्भ में ।

सं 8(15)/2013-धातु-II

भारत सरकार

खान मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 2 दिसम्बर, 2013

सेवा में

श्री प्रदीप कुमार पटेल
126/17-बी
बी.एन. रोड
लाल बाग
लखनऊ

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन पत्र।

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 3.10.2013 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि धातु II अनुभाग के संबंध में सूचना शून्य मानी जाये।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो अपील प्राधिकारी श्री एस.के मिश्रा, उपसचिव, खान मंत्रालय कमरा सं 3 ए.डी. विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली के समक्ष इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

भवदीय

संजय कुमार 2/12/13

(संजय कुमार)

अनुभाग अधिकारी/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति- सूचनार्थ - पी.आई. सैल, खान मंत्रालय को उनके पत्र सं. ई गिरिराज 2/199/2013 पी आई दि. 28.11.2013

पंजीकृत डाक
अतितत्काल

मिसिल सं. 20/~~29~~ 85/201~~2~~ 3- समन्वय
भारत सरकार
खान मंत्रालय

शास्त्री भवन
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार पटेल,
126 / 17 – बी.,
बी. एन. रोड.,
लालबाग़,
लखनऊ,

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री प्रदीप कुमार पटेल द्वारा मांगी गई सूचना !

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय को प्राप्त आपके पत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 का उल्लेख करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के समन्वय अनुभाग की ओर से इस संबंध में सूचना शून्य समझी जाय !

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट न हों तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर श्री शेरशा, उप सचिव (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी), कमरा सं. 309 'डी' विंग, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं !

भवदीय

(संजय सिंह)
अनुभाग अधिकारी एंव सी.पी.आई.ओ.

प्रति: पी.आई. पृकोष्ठ को उनके यू.ओ.सं. ई-मिसिल 2/199/2013-पी.आई. दिनांक 28.11.2013 के संदर्भ में !